

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्यामरा नायक व भूअनि हेन्दुश्री की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम क्षशाजो तहसील रेलमगर जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सन्त 2077 में खाता संख्या 49 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं - नल्लु ललि पुत्र वासीराम गाडी

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (असुद्ध प्रविष्टि)	जाददा (शुद्ध प्रविष्टि जा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	क्षशाजो	49	SBBJ शाज्ज राजसमन्द	SBI, शाज्ज राजसमन्द

र  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - राजस्व/2025/127  
प्रतिलिपि -

दिनांक - 03.10.25

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद रीघ्न किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री श्यामरा का सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

र  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर